राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

सं. एफ.9(63)यूडीएच/3/81 जयपुर दिनांक : 11.06.2012

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35) की धारा 43 और 60 के साथ पठित धारा 74 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान सुधार न्यास (नगरीय भूमि का निर्वर्तन) नियम, 1974 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है और उक्त अधिनियम की धारा 74 की उप-धारा (2) के परन्तुक के प्रति निर्देश से आदेश करती है कि इन नियमों के पूर्व प्रकाशन को अभिमुक्त किया जाता है क्योंकि राज्य सरकार का लोकहित में यह विचार है कि इन्हें तुरन्त प्रवृत्त किया जाना चाहिए, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .-** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान सुधार न्यास (नगरीय भूमि का निर्वर्तन) (संशोधन) नियम, 2012 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 15-क का हटाया जाना .-** राजस्थान सुधार न्यास (नगरीय भूमि का निर्वर्तन) नियम, 1974 का विधमान नियम 15-क हटाया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से,

(आर0के0 पारीक)
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक प.9(63) यूडीएच/3/81 जयपुर, दिनांकः–11.06..2012

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है :--

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
8. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
9. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
11. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
12. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
13. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार, जयपुर।
14. निदेशक, स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर।
15. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान जयपुर को भेजकर अनुरोध है कि इस अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में तुरन्त कराया जावे।
16. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्राणालय, जयपुर को राजपत्र के असाधारण अंक में तुरन्त प्रकाशन के लिए अधिसूचना की दो प्रतियां मय साफ्ट प्रति के साथ। यह भी अनुरोध है कि राजपत्र के 200 प्रतियां इस विभाग को प्रेषित की जावे।
17. समस्त सचिव, नगर सुधार न्यास, राजस्थान।
18. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/मण्डल राजस्थान।
19. रक्षित पत्रावली।

(आर०के० पारीक)
उप शासन सचिव–द्वितीय